क्र0सं0- 270

रजिस्टर्ड नं0 ए0डी0-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकारी प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1- खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ बृहस्पतिवार, 18 नवम्बर, 1976

कार्तिक 27, 1898 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4873/सत्रह-वि0-1--161-76,

लखनऊ, 18 नवम्बर, 1976

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टलरूल 56 (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 16 नवम्बर, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

(उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) अधिनियम, 1976)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1976)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

फण्डामेन्टल रूल 56 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

फण्डामेन्टल रूल 56 का संशोधन

2- फाईनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के समय-समय पर यथासंशोधित नियम 56 (जिसे आगे उक्त नियम 56 कहा जाएगा) में--

(1) खण्ड (ग) में, द्वितीय वार आये हुए शब्द पचास वर्ष के स्थान पर शब्ध पैतालिस वर्ष रख दिये जायेगे,

(2) खण्ड (ङ) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढा दिया जायेगा, अर्थात--

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई सरकारी सेवक जो इस नियम के अधीन स्वेच्छया सेवा-निवृत्त होता है या जिसे स्वेच्छया सेवा-निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी उसे पेन्शन और उपदान के, यदि कोई हो, प्रयोजनार्थ पांच वर्ष की या ऐसी अवधि की, जिससे वह कार्य किया होता, यदि वह अपनी अधिवर्षिता की आयु के साधारण दिनांक तक रहता, जो भी कम हो, अतिरिक्त सेवा के लाभ की अनुज्ञा दे सकता है। "

(3) स्पष्टीकरण (2) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिये जायेगे और सदैव से रखे गये समझे जायेगे, अर्थात्-

"(2) यह समाधान करने के लिए कि क्या किसी सरकारी सेवक से खण्ड (ग) के अधीन सेवा-निवृत्त होने की अपेक्षा करना लोक-हित में होगा या नही, नियुक्ति प्राधिकारी सरकारी सेवक से सम्बद्ध किसी सुसंगत बात पर विचार कर सकता है और यहां पर दी गयी किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि---

(क) किसी अवधि से संबंधित किसी प्रविष्टि पर, जिसके पूर्व ऐसे सरकारी सेवक को दक्षता रोक पार करने की अनुज्ञा दी गई थी या जिसके पूर्व स्थानापन्न या मौलिक रूप में या तदर्थ आधार पर उसकी पदोन्नति की गई थी, या

(ख) किसी प्रविष्टि पर, जिसके विरूद्ध कोई अभ्यावेदन विचाराधीन है, इस प्रतिबंध के साथ कि प्रविष्टि के साथ अभ्यावेदन पर भी विचार किया जाय, या

(ग) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 के अधीन गठित सतर्कता अधिष्ठान की किसी रिपोर्ट पर, विचार करना अपवर्जित है।

(2-क) प्रत्येक ऐसा निर्णय लोक-हित में लिया गया समझा जायेगा।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

3- जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उक्त नियम 56 के खण्ड (ग) के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्त का कोई आदेश किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा इस आधार पर अविधिमान्य निर्णीत कर दिया जाता है कि इस अधिनियम द्वारा यथा प्रतिस्थापित उक्त नियम 56 के स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट किसी बात पर नियुक्ति प्राधिकारी ने विचार किया है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो मास के भीतर ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन के लिए ऐसे न्यायालय या अधिकरण को आवेदन कर सकता है और ऐसे आवेदन पर न्यायालय या अधिकरण अपने निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन इस अधिनियम के द्वारा यथाप्रतिस्थापित उक्तनियम 56 क स्पष्टीकरण(2) और (2-क) के अनुसार कर सकता है